

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग 1646
अधिसूचना १४.०४.१५

संख्या-2/शि०स्था०-60-01/2014...../ भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद द्वारा अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय अम्बेदकर आवासीय विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।-** (1) यह नियमावली 'बिहार राजकीय अम्बेदकर आवासीय विद्यालय शिक्षक (नियुक्ति एवं सेवाशर्त) नियमावली' 2014' कही जायेगी।
 (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
 (3) यह नियमावली अधिसूचना की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।
2. **परिभाषाएँ।-** जब तक कोई बात विषय या प्रसंग के विरुद्ध नहीं हो, इस नियमावली में
 (i) 'नियमावली' से अभिप्रेत है 'बिहार राजकीय अम्बेदकर आवासीय विद्यालय शिक्षक (नियुक्ति, एवं सेवाशर्त) नियमावली 2014';
 (ii) 'राज्य सरकार' से अभिप्रेत है बिहार सरकार;
 (iii) 'आयोग' से अभिप्रेत है यथास्थान बिहार कर्मचारी चयन आयोग/बिहार लोक सेवा आयोग;
 (iv) "विभाग" से अभिप्रेत है अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग;
 (v) "राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्" से अभिप्रेत है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) या अन्य किसी नाम से विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षण संस्थाओं एवं प्रशिक्षण संस्थाओं को नियमित करने वाला परिषद्;
 (vi) 'अराजपत्रित शिक्षक' से अभिप्रेत है राजकीय अम्बेदकर आवासीय विद्यालय में नियुक्त प्रारंभिक शिक्षक एवं स्नातक सहायक शिक्षक, तथा 'राजपत्रित शिक्षक' से अभिप्रेत है राजकीय अम्बेदकर आवासीय विद्यालय में नियुक्त प्रधानाध्यापक, व्याख्यता एवं प्राचार्य।
3. **संवर्ग।-** (1) इस संवर्ग के विभिन्न पद एवं उनका पदसोपान परिशिष्ट-1 के अनुसार होंगे।
 (2) इस संवर्ग में सम्मिलित सभी पद राजस्तरीय होंगे।
 (3) इस संवर्ग के प्रत्येक पद के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत वेतनमान देय होगा।
 (4) पूर्व से नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षकों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बी०एड०/डी०ई०एल०एड० की प्रशिक्षण की योग्यता अधिकतम 2 वर्षों के भीतर अपने खर्च पर प्राप्त करना होगा। बी०एड०/डी०ई०एल०एड० प्रशिक्षण अवधि के लिए अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जायेगा।



4. **संवर्ग बल।**— इस संवर्ग की प्रत्येक कोटि के पदों की संख्या तथा उसकी कुल संख्या उतनी होगी जितनी इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि तक सरकार द्वारा स्वीकृत/अवधारित की गई हो तथा उसके बाद की तिथियों से सरकार द्वारा समय-समय पर आवश्यकता अनुसार स्वीकृत अथवा अवधारित की जाय।
5. **संवर्ग के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण।**— (1) संवर्ग के सभी कोटि के पदों का प्रशासी विभाग अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग होगा जो संवर्ग के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा।
 (2) परिचालनात्मक (ऑपरेशनल) नियंत्रण:— संवर्ग के सभी कोटि के पद/सदस्य निदेशक अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार के परिचालनात्मक नियंत्रण में होंगे। प्रमण्डल अन्तर्गत संवर्ग के सदस्यों पर प्रमण्डलीय उप निदेशक कल्याण, जिलान्तर्गत संवर्ग के सदस्यों पर जिला कल्याण पदाधिकारी का परिचालनात्मक नियंत्रण होगा।
 (3) नियमित नियुक्ति में प्रक्रियात्मक विलंब होने की स्थिति में वांछित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से विहित प्रक्रिया के तहत संविदा के आधार पर नियोजन कर विद्यालयीय पठन-पाठन की व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित किया जा सकेगा। समय-समय पर इनके मानदेय का निर्धारण वित्त विभाग की सहमति से किया जायेगा।
- 6— **नियुक्ति एवं प्रोन्नति की प्रक्रिया।**—संवर्ग के विभिन्न पदों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति इस नियमावली के परिशिष्ट-1 के कॉलम 5 के अनुसार होगी एवं पदों के नियुक्ति प्राधिकार परिशिष्ट -1 के कॉलम 6 के अनुसार होंगे।
 नियमित वेतनमान में आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त संवर्ग के विभिन्न पदों पर कार्यरत व्यक्तियों की सेवाकाल में मृत्यु होने की दशा में उनके आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर निर्धारित योग्यता के अनुरूप योग्यतानुसार अम्बे० आवासीय विद्यालयों में समूह 'ग' के 1900 ग्रेड पे या समूह 'घ' के 1800 ग्रेड पे के पदों के 10 प्रतिशत रिक्तियों के विरुद्ध जिला अनुकम्पा समिति की अनुशंसा के आधार पर विभाग द्वारा नियुक्ति की जा सकेगी।
- 7— **अहर्ता।**—संवर्ग के विभिन्न पदों पर सीधी नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु अहर्ता परिशिष्ट-1 के कॉलम 4 के अनुसार होगी।
8. **परीक्ष्यमान अवधि।**—सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति परीक्ष्यमान के रूप में की जायेगी। परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षों की होगी, जो नियुक्ति प्राधिकार द्वारा बढ़ाई जा सकेगी। परीक्ष्यमान की अवधि में कार्यकलाप संतोषजनक नहीं रहने या संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध गंभीर आरोप पाये जाने पर उसे सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
- 9— **प्रशिक्षण।**— शिक्षकों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु नियमित रूप से सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी, जिसमें उनको भाग लेना आवश्यक होगा।
- 10— **विभागीय परीक्षा।**—सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्त स्नातक शिक्षक/प्रधानाध्यापक/व्याख्याता/प्राचार्य को केन्द्रीय परीक्षा समिति बिहार द्वारा संचालित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। उक्त परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नवत होगा:—

क्र०सं०	विषय	पूर्णांक	उत्तीर्णांक	समय
1	हिन्दी(लिखित)	200	120	3 घंटा
2	हिन्दी(मौखिक)	100	60	राजस्व पर्यटन द्वारा अवधारित
3	लेखा(पुस्तक रहित)	100	60	1.5 घंटा
4	लेखा (पुस्तक सहित)	100	50	1.5 घंटा
5	विभागीय विधि (पुस्तक रहित)	100	60	1.5 घंटा

परीक्षा पाठ्यक्रम समय-समय पर विभाग के द्वारा घटाये या बढ़ाये जा सकते हैं।

विभागीय विधि पाठ्यक्रम निम्नलिखित होगा:-

- अनु० जाति एवं अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 एवं अनु० जाति एवं अनु० जनजाति अत्याचार निवारण नियमावली 1995।
- मैनुवल स्कैवेंजर निषेध एवं पुर्नवास अधिनियम 2013।
- अनु० जाति एवं अनु० जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति योजना।
- सिविल अधिकार एवं संरक्षण अधिनियम 1955।
- विभागीय योजना।
- अन्य नियमों जो विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जायें।

11. **सम्पुष्टि**।-राजपत्रित शिक्षकों को राजपत्रित परीक्षा तथा अराजपत्रित शिक्षकों को अराजपत्रित परीक्षा/विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होना होगा। नियुक्ति से दो वर्ष के भीतर देवनागरी लिपि में हिन्दी टिप्पण और प्रारूपण की परीक्षा में भी उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। उन्हें तब-तक न तो वार्षिक वेतन वृद्धि दी जायेगी न उस पद पर सम्पुष्ट किया जायेगा। एवं परीक्ष्यमान अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण किये जाने एवं उनके लिए निर्धारित पशिक्षण कार्यक्रम सफलता पूर्वक पूर्ण करने के उपरांत ही नियुक्ति प्राधिकार द्वारा सेवा सम्पुष्ट किया जा सकेगा।

12. **वरीयता का अवधारण**।-आयोग द्वारा सीधे भर्ती से नियुक्त किये गये शिक्षकों की पारस्परिक वरीयता अवधारण आयोग द्वारा चयन के अधिमान क्रम से अवधारित की जायेगी। वरीयता नियुक्ति की तिथि के क्रम में निर्धारित होगी। यदि नियुक्ति तिथि एक ही हो तो उनकी पारस्परिक वरीयता योग्यता जन्म तिथि क्रम में निर्धारित होगी।

13. **प्रोन्नति**।-संवर्ग के विभिन्न पदों पर प्रोन्नति परिशिष्ट-1 के कॉलम- 4 एवं 5 के प्रावधानों के अनुसार दी जा सकेगी। प्रोन्नति के लिये चयन इस प्रयोजनार्थ गठित विभागीय प्रोन्नति समिति/समितियों द्वारा किया जायेगा। विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा किया जायेगा। विभागीय प्रोन्नति समिति उपलब्ध रिक्तियों के तीन गुणा शिक्षकों की सूची पर विचार करेगा। प्रोन्नति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा समय-समय पर निर्धारित कालावधि का पूरा होना आवश्यक होगा।

14. **आरक्षण**।- (I) नियुक्ति/प्रोन्नति में सरकार के आरक्षण अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।

15. **स्थानान्तरण**।-(i) नियमित वेतनमान पर नियुक्त शिक्षकों का पद स्थानान्तरणीय होगा। राज्य सरकार आवश्यकतानुसार विषयांकित शिक्षक के रिक्त पद के विरुद्ध पठन-पाठन की व्यवस्था हेतु उसी विषय के शिक्षकों का स्थानान्तरण कर सकेगी।

16. **प्रकीर्ण**।-इस नियमावली में स्पष्टतः उपबन्धित को छोड़कर नियमित वेतनमान में नियुक्त शिक्षकों के मामले में राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू सभी सुसंगत अधिनियमों संहिताओं तथा नियमों के उपबन्ध शिक्षकों पर भी यथा स्थिति लागू होंगे।

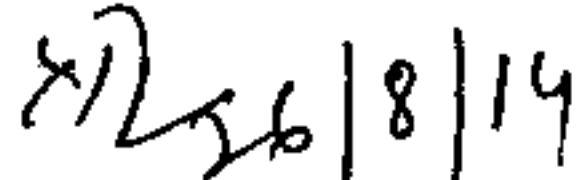
17. **विनियम बनाने की शक्ति**।-इस नियमावली के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिये विभाग विनियमावली बना सकेंगे।

18. निर्वचन।—इस नियमावली में किसी प्रावधान के निर्वचन के सम्बन्ध में कोई संदेह उत्पन्न हो, वहाँ विषय विधि विभाग के परामर्श से विभाग द्वारा विनिश्चित किया जायेगा और विभाग का विनिश्चय अंतिम होगा।
19. निरसन एवं व्यावृत्ति।— (1) सभी पूर्व नियमावली, संकल्प, आदेश एवं अनुदेश आदि एतद द्वारा निरसित किये जाते हैं।
 (2) इस निरसन के होते हुए भी पूर्व नियमावली संकल्प आदेश एवं अनुदेश के अधीन किया गया कुछ भी या की गई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्रवाई मानी जायेगी, मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी जिस दिन वैसा कुछ किया गया था या वैसी कार्रवाई की गयी थी।

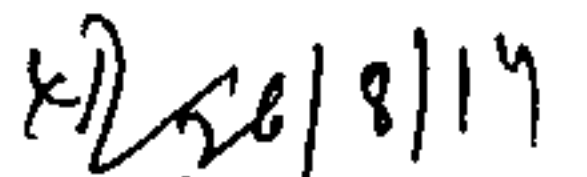
बिहार राज्यपाल के आदेश से


 (हुकुम सिंह) सचिव

ज्ञापांक-2/शि0स्था0-60-01/2014- 1646 पटना, दिनांक- 28/08/14
 प्रतिलिपि:—अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सी0डी0 एवं हार्ड कॉपी सहित आगामी गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
 अनुरोध है कि इस गजट की 500 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।


 सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2/शि0स्था0-60-01/2014- 1646 पटना, दिनांक- 28/08/14
 प्रतिलिपि:—महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/माननीय मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/सचिव/निदेशक/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उपनिदेशक (कल्याण)/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/विशेष सचिव/उपसचिव/अवर सचिव/आई0टी0मैनेजर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


 सरकार के विशेष सचिव।

परिशिष्ट-1

क्र०	पदनाम	कोटि	योग्यता	नियुक्ति का स्रोत	नियुक्ति प्राधिकार
1	2	3	4	5	6
1	प्राथमिक शिक्षक (इंटरमीडियट प्रशिक्षित)	अराजपत्रित	मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से 55 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इंटरमीडियट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) (दो वर्षीय शिक्षण प्रशिक्षण डिप्लोमा) अथवा प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक।	बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीधी नियुक्ति।	निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण
2	स्नातक सहायक शिक्षक(प्रशिक्षित)	अराजपत्रित	1- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ विषय विशेष में स्नातक की डिग्री हो और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से बी०एड० की डिग्री। 2-शारीरिक शिक्षक के लिए- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री हो। और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से शारीरिक शिक्षा में स्नातक की डिग्री या समकक्ष अर्हता का प्रमाण पत्र। 3-संस्कृत शिक्षक के लिए- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आचार्य साहित्य या व्याकरण अथवा संस्कृत विषय में न्यूनतम 55: अंको के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बी०एड० की डिग्री। 4-कम्प्यूटर शिक्षक के लिए- मान्यता प्राप्त संस्थान से बी० टेक० (कम्प्यू०साइन्स)/ बी०ई०(आई०टी०)/एम०सी०ए०/एम०सी (आई०टी०)/बी०सी०ए०/बी०एस०सी०(आई०टी०) 5-प्राथमिक शिक्षक से स्नातक शिक्षक में प्रोन्नति हेतु 10 वर्षों का शिक्षण अनुभव 6-अनु० जाति एवं अनु० जनजाति के प्राथमिक शिक्षक उम्मीदवार को प्रोन्नति हेतु 7 वर्षों का शिक्षण अनुभव अनिवार्य होगा।	1-बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 80 प्रतिशत पदों पर सीधी नियुक्ति। 2-शेष 20 प्रतिशत पद, इस पद पर नियुक्ति के अर्हता रखने वाले प्राथमिक शिक्षक (इंटरमीडियट प्रशिक्षित) से प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।	निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण

3	प्रधानाध्यापक	राजपत्रित	प्रधानाध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति के लिए किसी विषय विशेष में मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातकोत्तर के साथ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से बी०एड० की डिग्री के साथ 10 वर्षों का शिक्षण अनुभव। अनु० जाति एवं अनु० जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 7 वर्ष का शिक्षण अनुभव। 2-प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति के लिए किसी विषय विशेष में मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातकोत्तर के साथ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से बी०एड० की डिग्री के साथ 10 वर्षों का शिक्षण अनुभव। अनु० जाति एवं अनु० जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 7 वर्ष का शिक्षण अनुभव।	1-बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से 20 प्रतिशत पदों पर सीधी नियुक्ति। 2-शेष 80 प्रतिशत पद, इस पद पर नियुक्ति के अहर्ता रखने वाले स्नातक शिक्षक (प्रशिक्षित) से प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।	प्रधान सचिव/सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण
4	व्याख्याता	राजपत्रित	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विनिर्दिष्ट विषय में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ कला/विज्ञान अथवा वाणिज्य विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री हो और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बी०एड०/एम०एड० की डिग्री। 2-व्याख्याता के पद पर प्रोन्नति हेतु प्रधानाध्यापक के पद पर 5 साल शैक्षणिक एवं प्रशासनिक अनुभव। 3-अनु० जाति एवं अनु० जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष का शैक्षणिक एवं प्रशासनिक अनुभव।	1-बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से 80 प्रतिशत पदों पर सीधी नियुक्ति। 2-शेष 20 प्रतिशत पद, इस पद पर नियुक्ति के अहर्ता रखने वाले प्रधानाध्यापकों से प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।	बिहार राज्यपाल
5	प्राचार्य	राजपत्रित	प्राचार्य के पद पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातकोत्तर के साथ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से एम०एड० की डिग्री के साथ व्याख्याता के पद पर 5 वर्षों का शिक्षण अनुभव। अनु० जाति एवं अनु० जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 3 वर्षों का शिक्षण अनुभव।	1-बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से 50 प्रतिशत पदों पर सीधी नियुक्ति। 2-शेष 50 प्रतिशत पद, इस पद पर नियुक्ति के अहर्ता रखने वाले व्याख्याता से प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।	बिहार राज्यपाल

118

Govt. of Bihar
SC & ST Welfare Department

Notification

1646

28.08.14

In exercise of powers conferred by proviso to Article 309 of the constitution of India the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Rules for to regulating the appointment, promotion and service conditions of the Trained Teachers of Govt. Ambedkar Residential School, conducted by SC & ST Welfare Department:-

1. SHORT TITLE, EXTEND AND CMMENCEMENT:-

- (1) These Rules may be called Bihar Govt. Ambedkar Residential School Teachers (Appointment and Service condition) Rules 2014.
- (2) It shall extend to the Whole of the State of Bihar.
- (3) It shall come into force from the date of notification of Rules.

2. DEFINITION

In these Rules unless there be any thing repugnant to the subject or context.

- (i) Rules mean Bihar Govt. Ambedkar Residential School Teachers (Appointment and Service Condition) Rules 2014.
- (ii) State Govt. means Govt. of Bihar.
- (iii) Commission means Bihar Staff Selection Commission/ Bihar Public Service Commission.
- (iv) Department means Scheduled Caste and Scheduled Tribes Welfare Department.
- (v) 'National Council for Teacher Education' means National Council for Teacher Education or the council regulating the Educational Institutions and Training institutes at national level specified by any other name.
- (vi) 'Non-Gazetted Teacher' means Primary Teacher and Graduate Teacher appointed in the Govt. Ambedkar Residential Schools and 'Gazetted Teacher' means Headmaster, Lecturer and Principal appointed in Govt. Ambedkar Residential Schools.

3. Cadre:-

- (1) Different posts of this cadre and their chain of posts will be in accordance with Schedule-1.
- (2) All posts included in this Cadre will be State level.
- (3) Pay scale sanctioned by the Government from time to time will be payable for each post of this cadre.
- (4) The untrained teachers already appointed shall have to obtain the qualification of training in B.Ed or DELED from recognized institutions on their own costs. Honorarium leave will be sanctioned for period of the training in B.ED/DELED.

4. **Cadre Strength-----**Number of posts of every category and their total strength will be such as may be sanctioned/determined by the State Government up to the date of enforcement of this rule and as may be sanctioned/determined from time to time by the State Government.

5. Administrative control over the members of the Cadre:-

- (1) Administrative Department of all category of posts will be the SC & ST Welfare Department which will have the administrative control over the members of the Cadre.



- (2) **Operational Control:-**
Overall operational control of all category of posts will be under the Director, SC & ST Welfare Department. Regional Deputy Director Welfare and District Welfare Officer will have operational control over these employees in their jurisdiction respective.
- (3) In case of procedural delay in regular appointment, eligible qualified candidates may be engaged on contract basis so that the functioning of teaching may be smoothly conducted Determination of honorarium will be made on the concurrence of the Finance Department.
6. **Procedure for appointment and promotion:-** Appointment and promotion of different posts of the cadre will be in accordance with Col.5 of Appendix-1 of these rules and the Appointing Authority will be according to column 6 of Appendix-1 to the different posts. In the event of death in the service of personnel so appointed in regular pay scale on the recommendation the Commission, appointment of any one of the their dependants may be made on compassionate grounds in conformity with the qualifications determined for the post of Group-C in grade pay of 1900 or Group-D in grade pay of 1800 in Ambedkar Residential schools on the recommendation of the District Compassionate Committee against 10% of the vacancies in Group-C or Group-D.
7. **Qualifications:-** For direct appointment and promotion the qualifications will be according to the Col.4 of Appendix-1
8. **Probation Period** —Direct appointment will be on probation. Period of probation shall be 2 years which may be extended by the appointing authority, if in probation period the service is not found satisfactory or if any serious charge is found against the person may be discharged from the service.
9. **Training-** There shall be arrangement of mandatory training in service period regularly for qualitative teaching.
10. **Departmental Examination—** It will necessary for Graduate teacher / Principal / Lecturer / Headmaster appointed by direct recruitment to pass Departmental Examination conducted by Central Examination Committee, Bihar and the syllabus for such examination will be as follows:---

Sl no	Subject	Total Marks	Pass Marks	Time
1	2	3	4	5
1	Hindi (Written)	200	120	3 hrs.
2	Hindi(Oral)	100	60	Determined by Board of Revenue
3	Departmental Law(without book)	100	60	1.5 hrs
4	Accounts(With book)	100	50	1.5 hrs

Department, may from time to time add and delete the syllabus of Examination

Syllabus for Departmental Law Subject will be the following

- SC & ST (Prevention of Atrocities) Act 1989 and SC & ST(Prevention of Atrocities Rules 1995) as amended from time to time.
- The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act 2013 with rules therein.
- SC & ST and Other Backward & Extremely Backward Scholarship Scheme.
- The Protection of Civil Rights Act 1955.
- Departmental Schemes.

Handwritten signature

(vi) Other subject as may be added from time to time by the department.

11. Confirmation:- --Gazetted Teachers have to pass the Gazetted Examination and Non Gazetted Teachers have to pass Non Gazetted Exam/Departmental Exam. They have to pass Hindi noting and drafting examination within two years of their service in Devnagri script failing which they will not be granted annual increment and shall not be confirmed in their services. Their services shall be confirmed on completion of probation period and completion of training successfully.

12. Determination of Seniority:- Determination of inter-se seniority will be made in order of preference of selection by the Commission. Seniority will be determined in order of the date of their appointment. If the date of appointment is same, then their inter-seniority will be determined in order of date of birth.

13. Promotion:- Promotion will be given in accordance with provision of col-4 and 5 Appendix-1. Selection for promotion shall be made by the Departmental Promotion Committee/Committees constituted for this purpose. Departmental Promotion Committee shall be constituted by the Department and shall be decided on the basis of available vacancies from the list of three times the number of teachers. Completion of 'Kalawadhi' determined by General Administration Department from time to time shall be necessary for promotion.

14-Reservation—Provisions of the Reservation Act of the Govt. shall apply in the appointment/promotions.

15-Transfer— The post of teachers appointed on regular pay scale shall be transferable. The State Govt. may transfer the subject teachers as per requirements against the vacant posts for arrangement of teaching.

16-Miscellaneous— Except as clearly provided in these rules, provisions of all relevant acts codes, rules applicable to the employees of State Govt. shall, as the case may be, apply to the teachers appointed in regular pay scale.

17-Power to make Regulations:- The Department may make regulations to give effect to the provisions of these Rules.

18-Interpretation:- If any doubt arises as to the interpretation of any provisions of this rules, the subject may be determined by the Department in consultation with the Law department and decision of the Department shall be final.

19-Repeal and savings:- (1) All Rules, Resolutions, Orders and Instructions are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the previous Rules Resolution, Orders and Instructions shall be deemed to be done or taken under these rules as if it had come into force on the day on which such thing was done or such action was taken.

By order of the Governor of Bihar

(Hukum Singh Meena)

Secretary

[Handwritten Signature]
28/12/2024

Memo No. 2/Teach. Est.-60-01/2014- 1646

Patna, Dated-28/08/14

Copy to Superintendent, Secretariat Press, Gulzarbagh, Patna with CD & Hard Copy for published in next gazette.

Please arrange 500 copy and send to SC & ST welfare department, Bihar, Patna.

28/8/14

Special Secretary to Government.

SC & ST welfare department, Bihar, Patna.

Memo No. 2/Teach. Est.-60-01/2014-

1646

Patna, Dated- 28/08/14

Copy to :- A.G., Bihar, Birchand Patel Path, Patna/Honorable Minister, SC & ST welfare department, Bihar, Patna/Secretary , SC & ST welfare department, Bihar, Patna /Director, SC & ST welfare department, Bihar, Patna /All Divisional Commissioners/All District Magistrates/All Deputy Director (Welfare)/All District Welfare Officers/Special Secretary/Deputy Secretary/Under Secretary/I.T. Manager, SC & ST welfare department, Bihar, Patna for information and further necessary action.

28/8/14

Special Secretary to Government.

SC & ST welfare department, Bihar, Patna.

Appendix-1

sno	Post/Designation	Category	Qualification	Source of Appointment	Appointing authority
1	2	3	4	5	6
1	Primary Teacher (Intermediate Trained)	Non-Gazetted	Passed Higher Secondary (Intermediate or equivalent) examination with minimum 55% marks from recognized institution and done NCTE(Two years Diploma in Teacher training) or Graduate in Primary Education.	Direct appointment by the Bihar Staff Selection Commission	Director, SC & ST Welfare Department
2	Graduate Assitant Teacher(Trained)	Non-Gazetted	Graduate Degree in any subject with minimum 55% marks from recognized University and B.ed Degree from training Institution recognized by NCTE <u>2-For Physical Teacher</u> Graduate Degree in any subject with minimum 55% marks from recognized University and Graduate Degree in Physical Education from any training institution recognized by NCTE or equivalent qualification <u>3-For Sanskrit Teacher</u> Masters Degree with minimum 55% Marks in Acharya/Grammar or Sanskrit and B.ed Degree from training institution recognized by NCTE <u>4-For Computer Teacher</u> B.Tech(Computer Science)/ B.E(IT)/MCA/M.sc(IT)/BCA/B.sc(IT) from recognized institution. 5-Having 10 years teaching experience for promotion from the post of Primary Teacher to Graduate Teacher. 6-For Promotion of SC & ST primary Teacher, 7 yaers teaching experience is compulsory	1-Direct appointment on 80% posts through Bihar Staff Sêlection Commission 2-Rest 20% post shall be filled up through promotion from those holding post of primary Teachers(Intermediate Trained) qualified to hold this post.	Director, SC & ST Welfare Department
3	Head Master	Gazetted	For direct appointment to the post of Head Master, Post Graduate degree in any subject from recognized Institution alongwith B.Ed Degree from NCTE with 10 years teaching experience. For SC & ST candidates 7 years of teaching experiences.	1 Direct appointment on 20% posts through B.P.S.C. 2-Rest 80% post will be filled. through promotion from Graduate Teacher (Trained) qualified to hold this post.	Principal Secretary/Secretary SC & ST Welfare Department, Bihar Patna

[Handwritten signature]

4	Lecturer	Gazetted	1-Post Graduate degree with 55% marks in Arts/Science or Commerce from recognized University and B.ed/M.ed degree from training institution recognized by NCTE.	1 Direct appointment on 80% posts through B.P.S.C. 2-Rest 20% post shall be filled through promotion from Head Master qualified to hold this post.	Governor Bihar
			2-For promotion to the post of Lecturer having teaching and administrative experience of 5 years on the post of Headmaster. 3-For SC & ST candidates 3 years of teaching and administrative experiences.		
5	Principal	Gazetted	For appointment and promotion to the post of Principal Post Graduate from recognized institute and M.ed from institution recognized by NCTE and five year teaching experience on the post of Lecturers. For SC & ST candidates, 3 years of teaching experiences	Direct appointment on 50% posts through BPSC. 2-Rest 50% post shall be filled up through promotion from Lecturer qualified to hold this post.	Governor Bihar


 Secretary
 28/8/2011